पत्रिका {राजस्थान}
RAJASTHAN

जैकेट से जारी... 1/12/2026

आंखें खोलनी ही होगी

राजस्थान में पिछले वर्षों में भी कितने ही विभागों के समाचार छपे हैं कि कहां क्या हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। जो निर्णय सरकारों को करने चाहिए वे नहीं हो रहे। कोर्ट के जो आदेश जारी हुए उनकी भी क्रियान्विति नहीं हो रही। जयपुर के रामगढ़ बांध को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौन हैं। उस रामगढ़ के लिए जिसे भरवाने की घोषणा स्वयं मुख्यमंत्री ने की और राजस्थान उच्च न्यायालय का फैसला भी आ गया। इसके बावजूद वहां बहुमंजिला भवन खड़े हैं। वैसे ही सरिस्का अभयारण्य और सिलिसेढ क्षेत्र में होटलें-रिसोर्ट सरकार का मुंह चिढ़ा रहे हैं।

एक ओर सरकार जयपुर के विरासती ढांचे को संयुक्त राष्ट्र की सूची में बनाए रखने का दंभ भर रही है वहीं शहर में कितने ही बहुमंजिला भवन खड़े हो चुके हैं। तत्कालीन सरकार ने सारे पुरातत्व नियमों को धता बताकर मेट्रो को गले लगाया था, संबंधित अधिकारी ह्रदेश कुमार को बचाया था। तब कोर्ट अकेला क्या करेगा?

सरकारें जब सख्ती करती है तो लगता है कि भ्रष्टाचारियों की अब खैर नहीं। लेकिन एक-दो मामलों में सख्ती दिखाने से कुछ नहीं होने वाला। भ्रष्टाचार को खत्म करने का संकल्प पूरा करना है तो सिस्टम को सुधारना होगा। अन्यथा ऐसा लगता है कि हर विभाग में एक शिखर अग्रवाल बैठा है। सिस्टम में सुधार करने के लिए सरकारों को इच्छा शक्ति दिखानी होगी। यह तय करना होगा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई सिर्फ दिखावटी न हो। अन्यथा यह माना जाएगा कि सरकार में बैठे मंत्री व मुख्यमंत्री तक को राजी रखने का काम हो रहा है।

राजस्थान की बात करें तो सरकार के संकल्पों में यही हाल नशामुक्ति अभियान का भी बना हुआ है। सरकार ने पूरा दम लगा रखा है- नशामुक्ति के लिए। रोज बड़ी मात्रा में माल पकड़ा जाता है, गिरफ्तारियां भी होती हैं। क्यों गांवों में हर जगह माल दबा है, और ग्रामीणों को जानकारी ही नहीं? सरकार ने उतना ही दम अंग्रेजी शराब को बेचने में लगा रखा है। मानो वह अमृत कलश हो। आज तो छोटे-छोटे गांव में यह अमृत नशामुक्ति के अभियान की तर्ज पर बेचा जा रहा है। मद्य निषेध राज्यों में धड़ल्ले से बिक रहा है वह अलग है। सरकारें कमाई के नशे में है।

राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो और संसद में पेश आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में सन् 2020 में 4250, 2021 में 6158, 2022 में 7412, 2023 में 8012, 2024 में 8597 बच्चों के लापता होने के मामले दर्ज हुए। पांच साल में यह संख्या 34429 रही। लापता बच्चों में 842 बालिकाएं हैं। घर-घर में मातम और अभिभावकों की पथराती आंखों पर पुलिस की बंद आंखें। वे तो नशामुक्ति के आंकड़े जताने में व्यस्त हैं। सोचिए, देश भर का चित्र कैसा हृदय विदारक होगा। कौन नहीं जानता की लड़कियां बेची जाती हैं। कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगा तो चोरी होने लगी। विदेशों में ले जाते हैं। इनके अंग बचे जाते हैं। हां, पुलिस इस 'कन्या पूजन' में भागीदार अवश्य हैं। आज तो बाकी चोरियां इनके आगे क्या अर्थ रखती हैं?

यह साफ है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात हो या फिर मादक पदार्थों की बिक्री व मानव तस्करी के खिलाफ अभियान, दिखावे की बजाए सख्ती की ज्यादा जरूरत है। आंखें खोलनी ही होगी।